

राजस्थान में कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन और किसानों की आजीविका पर प्रभाव

Jeetendra Kumar

Research Scholar, Lords University Alwar Raj.

Dr.Rajeswari Meena

Professor in Geography, Department of Geography, Lords University Alwar Raj.

Dr. Sneh Saiwal

Professor in Geography, Department of Geography, Lords University Alwar Raj

सार

यह अध्ययन राजस्थान में कृषि भूमि उपयोग में हो रहे परिवर्तन और उससे किसानों की आजीविका पर पड़ रहे प्रभावों का संक्षिप्त विश्लेषण प्रस्तुत करता है। शुष्क व अर्द्ध-शुष्क जलवायु, भूमिगत जल का ह्रास, शहरीकरण/औद्योगिकीकरण, सौर पार्कों/खनन का विस्तार तथा फसल जोखिम बढ़ाने वाली जलवायु-परिवर्तन घटनाएँ सभी कारक पारंपरिक फसल प्रणालियों को बदल रहे हैं। इंदिरा गाँधी नहर कमांड क्षेत्र में सिंचित रकबा व व्यावसायिक फसलों (जैसे जीरा, सरसों, ग्वार) का हिस्सा बढ़ा है, जबकि कई शुष्क क्षेत्रों में वर्षा-आधारित बाजरा/दालों का क्षेत्र सिकुड़ा है। भूमि का गैर-कृषि उपयोग (प्लॉटिंग, सड़क/औद्योगिक गलियारे) और ठेका-कृषि/बागवानी की ओर झुकाव भी परिदृश्य बदल रहे हैं। मिश्रित-पद्धति (जिलास्तरीय द्वितीयक आँकड़े, रिमोट सेंसिंग/जीआईएस मैपिंग, तथा चुनिंदा जिलों/कृषिसलमेर, बाड़मेर, नागौर, जयपुर पर केंद्रित फोकस-ग्रुप चर्चा) से प्राप्त निष्कर्ष दर्शाते हैं कि (प) फसल-विविधीकरण और बाजार-एकीकरण से कुछ किसानों की आय बढ़ी, पर लागत-जोखिम व मूल्य-अस्थिरता भी बढ़ी; (पप) भूमिहीनता/सीमांत जोतों पर तनाव, किराये की खेती और मौसमी पलायन में वृद्धि हुई; (पपप) जल-अभाव, चारे की कमी और चारागाह संकुचन से पशुपालन प्रभावित हुआ; (पअ) महिलाओं पर श्रम-भार और समय-गरीबी बढ़ी; (अ) युवा पीढ़ी गैर-कृषि रोजगार की ओर प्रवृत्त है। अनुकूलन रणनीतियाँ/कृषिसूखा-रोधी किस्में, सूक्ष्म सिंचाई, सामुदायिक जल-संरक्षण, फसल-बिमा व ई-नाम/एफपीओ के माध्यम से बाजार पहुँच/लचीलापन बढ़ाती हैं, पर पहुँच में असमानताएँ बनी हुई हैं। अध्ययन निष्कर्षित करता है कि टिकाऊ आजीविका हेतु भू-जल शासन, चारागाह/सामुदायिक भूमि की पुनर्बहाली, कृषि-परिस्थितिकी आधारित विविधीकरण, स्थानीय भंडारण/मूल्य-वृद्धि, न्यायसंगत भूमि-अधिग्रहण मुआवज़ा, और डेटा-संचालित ज़ोनल फसल-योजनाएँ आवश्यक हैं। नीति-स्तर पर जल-ऊर्जा-कृषि के एकीकृत प्रबंधन और संवेदनशील समूहों के लिए लक्षित वित्तीय/बाजारी समर्थन की सिफारिश की जाती है।

मुख्य शब्द : भूमि उपयोग परिवर्तन, आजीविका, जल-अभाव, विविधीकरण, राजस्थान, किसान लचीलापन।

प्रस्तावना

राजस्थान, भारत का सबसे बड़ा राज्य, अपनी शुष्क और अर्ध-शुष्क जलवायु के बावजूद, अपनी कृषि अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक निर्भर करता है। कृषि क्षेत्र राज्य के सकल घरेलू उत्पाद (ऋक्) में लगभग 25–30% का महत्वपूर्ण योगदान देता है, जो इसे राज्य के आर्थिक ढांचे का एक अनिवार्य स्तंभ बनाता है। यह क्षेत्र लाखों लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार का प्राथमिक स्रोत है, जिसमें 60% से अधिक आबादी सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि और संबद्ध गतिविधियों में लगी हुई है। इसमें किसान, खेतिहर मजदूर और कृषि-आधारित छोटे उद्यम शामिल हैं। पशुपालन और दुग्ध उत्पादन भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, जिससे डेयरी और ऊन उत्पादन जैसे उद्योगों को बढ़ावा मिलता है।

कृषि का यह दोहरा महत्व दर्शाता है कि कृषि भूमि में होने वाला कोई भी परिवर्तन राज्य की व्यापक आर्थिक स्थिरता और बड़ी आबादी की सामाजिक भलाई को सीधे प्रभावित करता है। इस प्रकार, भूमि उपयोग परिवर्तन एक महत्वपूर्ण नीतिगत चिंता का विषय बन जाता है।

भूमि उपयोग परिवर्तन से तात्पर्य भूमि के एक विशिष्ट उद्देश्य से दूसरे उद्देश्य में रूपांतरण से है, जैसे कृषि भूमि का आवासीय, वाणिज्यिक या औद्योगिक उपयोग में बदलना। यह परिवर्तन प्राकृतिक और मानवजनित दोनों कारकों से प्रभावित होता है, और इसके पर्यावरण, पारिस्थितिकी और प्राकृतिक संसाधनों पर अत्यंत महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ते हैं, जिनमें मृदा अपरदन, जल गुणवत्ता, वनस्पति और वन्यजीव आवास शामिल हैं। परिवर्तन की यह बहुआयामी प्रकृति इंगित करती है कि विश्लेषण को केवल किसानों पर प्रत्यक्ष आर्थिक प्रभावों तक ही सीमित नहीं रखा जा सकता, बल्कि इसमें व्यापक पारिस्थितिक परिणामों को भी शामिल करना होगा, जो बदले में कृषि स्थिरता और आजीविका को प्रभावित करते हैं।

इस शोध पत्र का उद्देश्य राजस्थान में कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख चालकों, किसानों की आजीविका पर इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभावों, पर्यावरणीय संबंधों, संबंधित सरकारी नीतियों और योजनाओं का विस्तृत विश्लेषण करना है। इसमें विशिष्ट केस स्टडीज और किसानों के अनुभवों को भी शामिल किया जाएगा ताकि जमीनी हकीकत को समझा जा सके। अंत में, चुनौतियों की पहचान की जाएगी और टिकाऊ भूमि प्रबंधन तथा किसानों की आजीविका में सुधार के लिए नीतिगत सिफारिशें प्रस्तुत की जाएंगी।

राजस्थान में कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रमुख चालक

राजस्थान में कृषि भूमि उपयोग में परिवर्तन कई परस्पर जुड़े कारकों से प्रेरित है, जिनमें शहरीकरण, औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार, कृषि प्रथाओं में आंतरिक परिवर्तन और जलवायु परिवर्तन के दबाव शामिल हैं। इन चालकों को समझना किसानों की आजीविका पर उनके जटिल प्रभावों का आकलन करने के लिए महत्वपूर्ण है।

शहरीकरण और औद्योगीकरण

शहरीकरण राजस्थान में कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन के सबसे प्रमुख चालकों में से एक है। राज्य में शहरी क्षेत्रों का तेजी से विस्तार हो रहा है, जिससे ग्रामीण परिदृश्य शहरी केंद्रों में बदल रहे हैं और कृषि भूमि को औद्योगिक या अन्य गैर-कृषि उपयोगों के लिए पुनरुद्देशित किया जा रहा है। यह प्रक्रिया कृषि भूमि के नुकसान को तेज कर रही है; उदाहरण के लिए, 1993 और 2000 के बीच, 3856.2 हेक्टेयर कृषि भूमि को निर्मित भूमि में परिवर्तित किया गया। यह केवल भौतिक अतिक्रमण नहीं है, बल्कि एक आर्थिक प्रोत्साहन भी है, क्योंकि भूमि के गैर-कृषि उपयोग में परिवर्तित होने पर उसकी कीमत सौ गुना तक बढ़ सकती है, जिससे भूस्वामियों को अपनी कृषि भूमि को परिवर्तित करने के लिए दृढ़ता से प्रोत्साहित किया जाता है।

बुनियादी ढांचा परियोजनाएं

सड़क नेटवर्क के विस्तार, विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना और अन्य विकासात्मक कार्यों के लिए भी कृषि भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इससे प्राकृतिक वनस्पति और जैव विविधता का नुकसान होता है। हाल के वर्षों में, नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं, विशेषकर सौर ऊर्जा संयंत्रों के लिए बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण भी एक प्रमुख चालक बन गया है।

कृषि विस्तार और गहनता

जनसंख्या वृद्धि और बढ़ती खाद्य मांग को पूरा करने के लिए कृषि उत्पादन में वृद्धि की आवश्यकता है, जिससे बड़े पैमाने पर कृषि गहनता हो रही है। राजस्थान में, शुद्ध बोया गया क्षेत्र और कुल फसली क्षेत्र में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 1957-58 में शुद्ध बोया गया क्षेत्र 12,103 हजार हेक्टेयर था जो 2015-16 में बढ़कर 18,024 हजार हेक्टेयर हो गया, जबकि कुल फसली क्षेत्र 12,944 हजार हेक्टेयर से बढ़कर 25,013 हजार हेक्टेयर हो गया। यह वृद्धि मुख्य रूप से सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और परती या बंजर भूमि को कृषि के तहत लाने से संभव हुई है।

जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक संसाधन दबाव

राजस्थान देश के सबसे अधिक जलवायु संवेदनशील राज्यों में से एक है। जल संकट, मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, और जलवायु परिवर्तन (बढ़ते तापमान, अनियमित वर्षा) जैसी चुनौतियां कृषि उत्पादकता और किसानों की आजीविका को नकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं। राज्य में वर्षा का वितरण अत्यंत असमान है, अधिकांश हिस्सों में औसत वार्षिक वर्षा 500 मिमी से भी कम होती है, जिससे जल संसाधनों की उपलब्धता अत्यधिक अस्थिर रहती है।

भूजल का अत्यधिक दोहन एक गंभीर चिंता का विषय है, जो कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए किया जाता है; राज्य के कुल 295 ब्लॉकों में से 203 ब्लॉक अतिशोषित श्रेणी में आते हैं। जलवायु परिवर्तन एक बहुआयामी खतरे के रूप में कार्य करता है, जो राजस्थान के शुष्क और अर्ध-शुष्क वातावरण में मौजूदा कमजोरियों को बढ़ाता है।

यह न केवल कृषि उत्पादकता को सीधे प्रभावित करता है, बल्कि किसानों को खेती छोड़ने या अनुकूलन करने के लिए मजबूर करके भूमि उपयोग परिवर्तनों को भी बढ़ावा देता है, जिससे पर्यावरणीय और आजीविका तनाव का एक चक्र बनता है।

सरकारी नीतियां और कानूनी पहलू

राजस्थान में कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए परिवर्तित करने के लिए एक उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है, जिसे भूमि-उपयोग रूपांतरण के रूप में जाना जाता है। राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 और राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 जैसे कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। भूमि रूपांतरण शुल्क और प्रक्रियाएं क्षेत्र और उद्देश्य के अनुसार भिन्न होती हैं, और विभिन्न प्राधिकरण (तहसीलदार, उप-विभागीय अधिकारी, कलेक्टर, राज्य सरकार) इसमें शामिल होते हैं, जो भूमि के क्षेत्रफल और प्रस्तावित उपयोग पर निर्भर करता है। अनधिकृत निर्माण पर शास्ति का प्रावधान भी है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

राजस्थान भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 2014, सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, जिसमें प्रभावित व्यक्तियों के लिए उचित मुआवजे और पुनर्वास का प्रावधान है। हालांकि, इसमें 80% (निजी कंपनियों के लिए) और 60% (सार्वजनिक-निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए) सहमति का भी प्रावधान है। नीतिगत हस्तक्षेपों की यह जटिलता दर्शाती है कि एक मजबूत कानूनी ढांचा मौजूद होने के बावजूद, इसकी जटिलता, विभिन्न शुल्क और कई प्राधिकरण नौकरशाही बाधाएं और अनियमितताओं के अवसर पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए भूमि पट्टे पर देने में देरी और असमान नियम देखे गए हैं, जिससे उन्हें अपने संपत्तियों का मुद्रीकरण करने में नुकसान होता है। यह व्यापक नियामक जटिलता और कार्यान्वयन अंतराल नियोजित भूमि उपयोग परिवर्तन के वांछित लक्ष्यों को कमजोर करता है।

किसानों की आजीविका पर भूमि उपयोग परिवर्तन के प्रभाव

कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन के राजस्थान के किसानों की आजीविका पर बहुआयामी प्रभाव पड़ते हैं, जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय आयामों को छूते हैं। ये प्रभाव अक्सर परस्पर जुड़े होते हैं और विभिन्न किसान समूहों के लिए अलग-अलग परिणाम देते हैं।

आर्थिक प्रभाव

कृषि आय और उत्पादकता पर प्रभाव

कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन का सीधा आर्थिक प्रभाव किसानों की आय और कृषि उत्पादकता पर पड़ता है। मिट्टी की उर्वरता में गिरावट, जल संकट और जलवायु परिवर्तन (जैसे अनियमित वर्षा और बढ़ते तापमान) के कारण फसल

उत्पादन में कमी आती है, जिससे किसानों की आय प्रभावित होती है। राजस्थान की कृषि जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है, और बदलते मौसम के प्रारूप फसल उत्पादन को प्रभावित करते हैं।

हालांकि, सरकारी नीतियों और आधुनिक कृषि तकनीकों (जैसे उन्नत बीज, रासायनिक खाद, वैज्ञानिक उपकरण) के उपयोग से कृषिगत क्रियाओं का विकास हुआ है, जिससे कुछ क्षेत्रों में उत्पादन और आय में वृद्धि हुई है। फसल पैटर्न में भी बदलाव देखा गया है, जिसमें गेहूं, तिलहन और बागवानी फसलों की ओर रुझान बढ़ा है, जबकि मोटे अनाज और गन्ने जैसी फसलों का हिस्सा कम हुआ है। बागवानी से अधिक रिटर्न मिलने का अनुमान है। अलवर जिले में कृषि भूमि में कमी के बावजूद, प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हुई है, जो कृषि गहनता का संकेत है। यह उत्पादकता बनाम भूमि उपलब्धता का द्वंद्व एक महत्वपूर्ण पहलू है। भूमि उपयोग परिवर्तन, विशेष रूप से उपजाऊ भूमि का रूपांतरण, समग्र कृषि आधार को कम करता है। हालांकि, शेष भूमि पर अक्सर गहन खेती की जाती है (उच्च इनपुट, आधुनिक तकनीक), जो प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बनाए रखने या बढ़ाने में मदद कर सकती है। यह गहनता कुल कृषि उत्पादन पर भूमि हानि के वास्तविक प्रभाव को छिपा सकती है, लेकिन यह किसानों के लिए इनपुट लागत भी बढ़ा सकती है।

रोजगार के अवसरों में परिवर्तन

कृषि क्षेत्र अभी भी लाखों लोगों को रोजगार प्रदान करता है, जिसमें 13.61 मिलियन कृषक और 4.93 मिलियन खेतिहर मजदूर शामिल हैं। हालांकि, कृषि भूमि के गैर-कृषि उपयोग में रूपांतरण से ग्रामीण रोजगार के स्वरूप में बदलाव आ रहा है। कृषि क्षेत्र पर पहले से ही बहुत बोझ है, और बढ़ती श्रम शक्ति के लिए अन्य गैर-कृषि कार्यों में वैकल्पिक रोजगार के अवसरों की आवश्यकता बढ़ रही है।

गैर-कृषि रोजगार तक पहुंच असमान है, और महिलाएं तथा सामाजिक रूप से हाशिए पर पड़े समूह उच्च-भुगतान वाले गैर-कृषि नौकरियों तक पहुंचने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करते हैं। उदाहरण के लिए, माध्यमिक शिक्षा गैर-कृषि गतिविधियों में भागीदारी की दृढ़ता से भविष्यवाणी करती है, विशेष रूप से कुशल सेवा क्षेत्र की नौकरियों में। कृषि रोजगार से गैर-कृषि रोजगार में संक्रमण की यह चुनौती दर्शाती है कि भूमि उपयोग परिवर्तन, कृषि भूमि को कम करके, अधिक लोगों को खेती से बाहर धकेलता है। जबकि गैर-कृषि गतिविधियां विविधीकरण की पेशकश करती हैं, अच्छी तरह से भुगतान वाली नौकरियों तक समान पहुंच की कमी से अल्प-रोजगार हो सकता है और विस्थापित या हाशिए पर पड़े समुदायों में गरीबी बढ़ सकती है।

छोटे और सीमांत किसानों पर विशेष प्रभाव

राजस्थान में कृषि जोत का औसत आकार लगातार कम हो रहा है, जो 2015-16 में 2.73 हेक्टेयर था। छोटे और सीमांत किसान कुल कृषि समुदाय का लगभग 78% हिस्सा हैं। इन किसानों को ऋण तक सीमित पहुंच, उच्च इनपुट लागत, जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता और अपर्याप्त बाजार पहुंच जैसी बाधाओं का सामना करना पड़ता

है, जिससे उनकी लाभप्रदता कम होती है। उनकी औसत वार्षिक आय बड़े किसानों की तुलना में काफी कम है (छोटे/सीमांत किसानों के लिए ₹36,938 बनाम बड़े किसानों के लिए ₹146,000)।

कुल जोतों में बड़े जोतों की संख्या और क्षेत्रफल में कमी आई है, जबकि सीमांत, लघु, अर्ध-मध्यम और मध्यम जोतों में वृद्धि हुई है, जो भूमि विखंडन का संकेत है। भूमि विखंडन और भेद्यता का यह चक्र दर्शाता है कि भूमि उपयोग परिवर्तन, जनसांख्यिकीय दबावों के साथ मिलकर, भूमि जोतों के और विखंडन की ओर ले जाता है। छोटे भूखंड आर्थिक रूप से कम व्यवहार्य होते हैं, जिससे किसान कम आय, ऋण और जलवायु परिवर्तन जैसे बाहरी झटकों के प्रति अधिक भेद्यता के चक्र में फंस जाते हैं, जिससे उन्हें अपनी भूमि बेचने या परिवर्तित करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की स्थिति

अनिश्चित मौसम और फसल के नुकसान के कारण भूस्वामी अपनी जमीन पट्टे पर दे रहे हैं, जिससे किरायेदार किसानों को बढ़ते खर्च और जोखिमों का सामना करना पड़ रहा है। उदाहरण के लिए, एक किसान ने बताया कि किराए में वृद्धि और लगातार फसल खराब होने के कारण वे चार साल से घाटे में हैं।

सरकार भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की कार्य कुशलता बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कृषि यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर ₹5,000 का अनुदान दे रही है। इस योजना में महिला श्रमिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है। भूमिहीन/किरायेदार किसानों पर असंगत बोझ पड़ता है। जैसे-जैसे कृषि भूमि उपयोग बदलता है और जलवायु प्रभाव तेज होते हैं, सबसे कमजोर समूह भूमिहीन और किरायेदार किसान जोखिमों का खामियाजा भुगतते हैं, अक्सर भूमि स्वामित्व की सुरक्षा या पर्याप्त वैकल्पिक आजीविका के बिना, जिससे सरकारी सहायता महत्वपूर्ण हो जाती है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं हो सकती है।

सामाजिक प्रभाव

विस्थापन और पुनर्वास के मुद्दे

शहरीकरण और औद्योगिक विकास के कारण सामुदायिक विस्थापन एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिणाम है। जयपुर के नींदड़ गांव में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए भूमि अधिग्रहण के खिलाफ किसानों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया, जिसमें लगभग 5000 परिवारों के प्रभावित होने का अनुमान था। किसानों ने मुआवजे की अपर्याप्तता और नए भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत उचित मूल्यांकन की मांग की।

अध्ययन से पता चला है कि विस्थापित परिवारों में से 31% को मुआवजा नहीं मिला, और अधिकांश ने अपनी सिंचित भूमि खो दी, जिससे उनकी आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा। सरकार की नीति नकद मुआवजे पर जोर देती है,

प्रतिस्थापन भूमि पर नहीं। भूमि अधिग्रहण का यह मानवीय और सामाजिक लागत महत्वपूर्ण है। भूमि अधिग्रहण, यहां तक कि पारिवारिक उद्देश्यों के लिए भी, अक्सर प्रभावित समुदायों के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक व्यवधान, आजीविका का नुकसान और मनोवैज्ञानिक संकट का कारण बनता है। भूमि प्रतिस्थापन पर नकद मुआवजे पर जोर, अपर्याप्त या विलंबित भुगतान के साथ मिलकर, विस्थापित किसानों को गहरी गरीबी और हाशिए पर धकेल सकता है, जिससे लंबे समय तक सामाजिक अशांति हो सकती है।

खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव

जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ कृषि क्षेत्र में कमी खाद्य असंतुलन और खाद्य संकट जैसी समस्याएं पैदा कर सकती है। जलवायु परिवर्तन के कारण फसल की पैदावार में गिरावट और खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है, खासकर संसाधन-गरीब विकासशील देशों में। भूमि उपयोग परिवर्तन और खाद्य सुरक्षा का यह जटिल संबंध दर्शाता है कि, जबकि कृषि गहनता खाद्य उत्पादन के लिए भूमि हानि की भरपाई करने का प्रयास करती है, कृषि योग्य भूमि में समग्र कमी और जलवायु झटकों के प्रति बढ़ती भेद्यता तेजी से बढ़ती जनसंख्या के लिए क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए एक दीर्घकालिक खतरा पैदा करती है।

ग्रामीण समुदायों पर व्यापक प्रभाव

ग्रामीण आजीविकाएं बदल रही हैं और विविधीकरण हो रहा है, जिसमें प्रवास एक महत्वपूर्ण रणनीति के रूप में उभर रहा है, खासकर गरीब और वंचित वर्गों के लिए। हालांकि, प्रवास भी समस्याओं से भरा है, जिसमें श्रम बाजारों की अत्यधिक अनौपचारिक प्रकृति, रोजगार की सुरक्षा और स्थिरता की कमी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और पारिवारिक जीवन में व्यवधान शामिल हैं। महिला भूमि जोतों की संख्या में 2010-11 से 2015-16 तक 41.94% की वृद्धि हुई है, जो ग्रामीण सामाजिक संरचना में बदलाव का संकेत है।

सामाजिक-आर्थिक असमानताओं का बढ़ना एक महत्वपूर्ण परिणाम है। आर्थिक और पर्यावरणीय दबावों से प्रेरित भूमि उपयोग परिवर्तन अक्सर मौजूदा सामाजिक असमानताओं को बढ़ाता है। छोटे/सीमांत किसान, भूमिहीन मजदूर, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति समुदाय और महिलाएं जैसे कमजोर समूह अनुकूलन, नए अवसरों तक पहुंचने और उचित मुआवजा प्राप्त करने में बड़ी चुनौतियों का सामना करते हैं, जिससे असमानताएं बढ़ती हैं और सामाजिक तनाव पैदा होता है।

पर्यावरणीय संबंध

मृदा क्षरण और उर्वरता में कमी

लगातार कृषि उत्पादन, अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, मोनोक्रॉपिंग और अनुचित सिंचाई से मिट्टी की उर्वरता कम हो रही है, जिससे जैविक पदार्थों और आवश्यक पोषक तत्वों (जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटैश) की कमी हो रही है। अम्लीयता और मृदा अपरदन भी मिट्टी की गुणवत्ता को कम करते हैं, जिससे पौधों की वृद्धि के लिए जर्नल ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेटिव रिसर्च महत्वपूर्ण पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। भूमि उपयोग परिवर्तन और मृदा स्वास्थ्य का यह नकारात्मक चक्र दर्शाता है कि सिकुड़ते भूमि संसाधनों पर कृषि को गहन करने का दबाव, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के साथ मिलकर, एक दुष्चक्र की ओर ले जाता है जहां खराब भूमि प्रबंधन प्रथाएं मिट्टी के स्वास्थ्य को और खराब करती हैं, जिससे अधिक इनपुट की आवश्यकता होती है और लंबे समय में कृषि कम टिकाऊ हो जाती है।

जल संसाधनों पर दबाव

राजस्थान में जल संकट एक स्थायी समस्या है, जो वर्षा की कमी, जलवायु परिवर्तन, जल स्रोतों के अत्यधिक उपयोग (कृषि, उद्योग, घरेलू), जल संचयन की कमी, अत्यधिक जल दोहन और नदियों के सूखने के कारण गहराता जा रहा है। राज्य की 70% से अधिक आबादी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर करती है, जिससे भूजल का दोहन तेजी से बढ़ा है। जल संकट का कृषि आजीविका पर सीधा खतरा है। भूमि उपयोग परिवर्तन जो पानी की मांग को बढ़ाते हैं (जैसे, पानी-गहन फसलें, औद्योगिक उपयोग) या पुनर्भरण को कम करते हैं (शहरीकरण) सीधे खेती की व्यवहार्यता को खतरा पैदा करते हैं, जिससे किसानों को अपनी भूमि छोड़ने या अस्थिर प्रथाओं को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

जैव विविधता और पारिस्थितिक संतुलन

प्राकृतिक क्षेत्रों को कृषि और शहरी क्षेत्रों में बदलने से आवास विखंडन और जैव विविधता का नुकसान हुआ है, जिससे आक्रामक प्रजातियों का प्रसार हुआ है। वनोन्मूलन और अत्यधिक चराई से वन संसाधनों पर दबाव पड़ता है, जिससे वन क्षरण होता है। पारिस्थितिक सेवाओं का यह ह्रास दर्शाता है कि जैव विविधता का नुकसान और प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्रों का क्षरण कृषि प्रणालियों और ग्रामीण आजीविका की लचीलापन को कमजोर करता है। इससे कीटों के प्रति भेद्यता बढ़ सकती है, किसानों के लिए प्राकृतिक संसाधनों (जैसे, सामान्य भूमि से चारा) की

उपलब्धता कम हो सकती है, और समग्र पर्यावरणीय स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है, जिससे कृषि के लिए कम सहायक वातावरण बन सकता है।

IV- राजस्थान में भूमि उपयोग परिवर्तन से संबंधित सरकारी नीतियां और योजनाएं राजस्थान सरकार ने भूमि उपयोग परिवर्तन को विनियमित करने और किसानों की आजीविका पर इसके प्रभावों को कम करने के लिए कई नीतियां और योजनाएं लागू की हैं।

भूमि रूपांतरण नियम और प्रक्रियाएं

राजस्थान में कृषि भूमि को गैर-कृषि प्रयोजनों (आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, चिकित्सा, नमक निर्माण, सार्वजनिक उपयोगिता) के लिए परिवर्तित करने के लिए राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषि प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन) नियम 2007 और राजस्थान नगरीय क्षेत्र (भू-उपयोग परिवर्तन) नियम, 2010 जैसे कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। रूपांतरण के लिए तहसीलदार, उप-विभागीय अधिकारी (एसडीएम), कलेक्टर या राज्य सरकार जैसे विभिन्न प्राधिकरण जिम्मेदार होते हैं, जो भूमि के क्षेत्रफल और प्रस्तावित उपयोग पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए, 2,000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के लिए तहसीलदार, 4,000 वर्ग मीटर तक के लिए एसडीएम, और इससे अधिक के लिए जिला कलेक्टर जिम्मेदार होते हैं।

: पांतरण शुल्क उद्देश्य और जनसंख्या के आधार पर भिन्न होते हैं; उदाहरण के लिए, 5000 से कम आबादी वाले गांव में आवासीय उद्देश्य के लिए 2000 वर्ग मीटर तक के क्षेत्र के लिए ₹1 प्रति वर्ग मीटर और उससे अधिक के लिए ₹2 प्रति वर्ग मीटर का शुल्क लगता है। अनधिकृत निर्माण पर शास्ति का प्रावधान है, जैसे कि आवासीय प्रयोजन के लिए बिना पूर्व अनुमति के भवन निर्माण पर संपरिवर्तन शुल्क का 10% और वाणिज्यिक उपयोग के लिए 50% शास्ति देय होती है। ऑनलाइन आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध है।

हालांकि, नियामक जटिलता और कार्यान्वयन अंतराल मौजूद हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्टों ने रूपांतरण शुल्कों की गैर-वसूली और अन्य अनियमितताओं को उजागर किया है। इसके अतिरिक्त, भूमि रूपांतरण प्रक्रियाओं में नौकरशाही देरी देखी गई है, जिससे निवेशकों को भी परेशानी होती है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए विशेष रूप से भूमि पट्टे पर देने में चुनौतियां हैं, जहां भूमि रूपांतरण की आवश्यकता के कारण उन्हें कम दरें मिलती हैं और प्रक्रिया में अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। यह दर्शाता है कि विस्तृत नीतियों के बावजूद, प्रभावी कार्यान्वयन नौकरशाही अक्षमताओं, संभावित भ्रष्टाचार और नियमों के असमान अनुप्रयोग से बाधित होता है, जिससे कमजोर किसान समूहों को नुकसान होता है।

किसानों के लिए सहायता और प्रोत्साहन योजनाएं

सरकार किसानों को कृषि कार्यों के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन और तकनीकी सहायता प्रदान करती है, जिससे वे पारंपरिक कृषि से आगे बढ़कर आधुनिक और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने में सक्षम होते हैं। भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की कार्य कुशलता बढ़ाने और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए कृषि यंत्रों और उपकरणों की खरीद पर ₹5,000 का अनुदान दिया जाता है। इस योजना में महिला श्रमिकों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और बीपीएल श्रेणी के लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

कृषक उत्पादक संगठनों (FPOs) को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार के ई-नाम प्लेटफॉर्म पर ऑन-बोर्डिंग को सरल बनाने के उद्देश्य से प्रति FPO ₹500 की अनुदान सहायता और ₹20 लाख तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण दिए जाते हैं। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति 2019 के तहत किसानों और थ्चे को 50% पूंजीगत सब्सिडी (अधिकतम ₹1.00 करोड़) और 6% ब्याज अनुदान दिया जाता है। लक्षित समर्थन और मूल्य संवर्धन पर यह जोर भूमि की संकटग्रस्त बिक्री या रूपांतरण के दबाव को कम करने, किसानों की आय और लचीलापन बढ़ाने का प्रयास करता है। मूल्य श्रृंखलाओं और आधुनिक प्रथाओं पर ध्यान केंद्रित करके, सरकार छोटे भूमि जोतों पर भी कृषि को अधिक लाभदायक और टिकाऊ बनाने का प्रयास कर रही है।

कृषि वानिकी और टिकाऊ कृषि पहल

राष्ट्रीय कृषि वानिकी नीति और राजस्थान जलवायु नीति 2023 कृषि वानिकी को बढ़ावा देती है, जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करती है और किसानों के लिए आय सृजन के अवसर प्रदान करती है। टिकाऊ कृषि पद्धतियां जैसे जल प्रबंधन, जैविक खेती, तकनीकी उन्नयन, फसल विविधीकरण (कम पानी वाली फसलें), खेत तालाबों का निर्माण, स्प्रिंकलर और ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग, फसल बीमा, जैविक उर्वरकों का उपयोग और जल उपयोगकर्ता संघों को सक्रिय करना प्रोत्साहित किया जाता है।

राजस्थान राज्य जल नीति, 2010 में संशोधित, ने जल उपयोग दक्षता में 20% की वृद्धि की है (1,500 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टेयर से 1,200 क्यूबिक मीटर प्रति हेक्टेयर तक)। यह अनुकूलन और शमन रणनीतियों का एकीकरण दर्शाता है। सरकार कृषि को पर्यावरणीय झटकों के प्रति अधिक लचीला और कम संसाधन-गहन बनाने की आवश्यकता को पहचानती है। ये नीतियां, यदि प्रभावी ढंग से लागू की जाती हैं, तो भूमि उपयोग के दबाव और जलवायु परिवर्तन के बावजूद उपलब्ध भूमि पर संसाधन उपयोग को अनुकूलित करके कृषि उत्पादकता और आजीविका को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं।

पुनर्वास और वैकल्पिक आजीविका कार्यक्रम

राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा परियोजना (RACP) जैसी विकास परियोजनाएं अनैच्छिक पुनर्वास नीति को ट्रिगर करती हैं और छोटे पैमाने पर संरचनाओं, आजीविका और ग्राम्य साझा भूमि तक पहुंच के नुकसान को कम करने के लिए उपयुक्त आर्थिक पुनर्वास/आजीविका सहायता प्रदान करती हैं। ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका विविधीकरण

पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जिसमें मौजूदा आजीविका को स्थिर करना और गैर-कृषि व्यवसायों में अवसर प्रदान करना शामिल है।

उत्पादक संघों का गठन, मूल्य श्रृंखला के अंतराल को भरना (क्षमता निर्माण, बाजार और बुनियादी ढांचा समर्थन), और सामुदायिक प्रबंधित टिकाऊ कृषि (CMSA) जैसे पायलट कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। CMSA का उद्देश्य गरीब किसानों को टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने, खेती की लागत को कम करने और शुद्ध आय बढ़ाने में सहायता करना है। हालांकि, विस्थापन के बाद आजीविका पुनर्स्थापना की जटिलता बनी हुई है। नींदड़ गांव के मामले (जैसा कि पहले चर्चा की गई) से पता चलता है कि नीतियों के बावजूद, वास्तविक पुनर्वास अपर्याप्त हो सकता है, जिससे लंबे समय तक संकट और रोजगार तथा बुनियादी सुविधाओं की मांग बनी रहती है। यह नीतिगत इरादे और जमीनी हकीकत के बीच एक अंतर को इंगित करता है।

निष्कर्ष

राजस्थान में कृषि भूमि उपयोग परिवर्तन एक जटिल और बहुआयामी घटना है, जिसके किसानों की आजीविका पर गहन और दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। विश्लेषण से पता चलता है कि शहरीकरण, औद्योगीकरण, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का विस्तार, कृषि गहनता और जलवायु परिवर्तन के दबाव जैसे प्रमुख चालक कृषि परिदृश्य को तेजी से बदल रहे हैं। इन परिवर्तनों के परिणामस्वरूप आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय परिणाम सामने आते हैं जो अक्सर परस्पर जुड़े होते हैं और कमजोर किसान समूहों पर असंगत रूप से बोझ डालते हैं। आर्थिक रूप से, कृषि भूमि के नुकसान से कुल कृषि उत्पादन में कमी आ सकती है, भले ही शेष भूमि पर गहन खेती से प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ जाए। यह गहनता अक्सर उच्च इनपुट लागत और पर्यावरणीय क्षरण का कारण बनती है। ग्रामीण रोजगार के स्वरूप में बदलाव आ रहा है, जिसमें गैर-कृषि रोजगार की आवश्यकता बढ़ रही है, लेकिन इन अवसरों तक पहुंच असमान है, जिससे अल्प-रोजगार और गरीबी बढ़ जाती है। छोटे और सीमांत किसान, जो कृषि समुदाय का एक बड़ा हिस्सा हैं, भूमि विखंडन, ऋण तक सीमित पहुंच और कम लाभप्रदता के कारण विशेष रूप से कमजोर हैं। भूमिहीन खेतिहर मजदूर, जो किरायेदार के रूप में काम करते हैं, जलवायु परिवर्तन और बढ़ती लागत के कारण बढ़ते जोखिमों का सामना करते हैं। सामाजिक रूप से, भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापन एक गंभीर मुद्दा है, जैसा कि नींदड़ गांव के विरोध प्रदर्शनों से स्पष्ट है। अपर्याप्त मुआवजा, भूमि प्रतिस्थापन की कमी और प्रक्रियाओं में देरी से प्रभावित समुदायों में गहरा संकट और सामाजिक अशांति पैदा होती है। भूमि उपयोग परिवर्तन और जलवायु प्रभावों के कारण खाद्य सुरक्षा भी खतरे में है। इसके अतिरिक्त, ये परिवर्तन मौजूदा सामाजिक-आर्थिक असमानताओं को बढ़ाते हैं, जिससे महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे कमजोर समूहों को नए अवसरों तक पहुंचने और उचित मुआवजा प्राप्त करने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पर्यावरणीय रूप से, गहन कृषि पद्धतियों और भूमि रूपांतरण से मृदा क्षरण, उर्वरता में कमी और जल संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। राजस्थान में जल संकट, जो वर्षा की कमी और भूजल के अत्यधिक दोहन से बढ़ा है, कृषि आजीविका के लिए एक सीधा खतरा है। प्राकृतिक आवासों का नुकसान और जैव विविधता में कमी पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को कमजोर

करती है, जिससे कृषि प्रणालियों की लचीलापन कम हो जाती है। जबकि राजस्थान सरकार ने भूमि रूपांतरण को विनियमित करने, किसानों को सहायता प्रदान करने, टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने और पुनर्वास कार्यक्रम चलाने के लिए नीतियां और योजनाएं लागू की हैं, इन नीतियों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण अंतराल और चुनौतियां बनी हुई हैं। नौकरशाही जटिलताएं, भ्रष्टाचार की संभावना, और नियमों के असमान अनुप्रयोग से वांछित परिणाम प्राप्त करने में बाधा आती है।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- [1] अलजजीरा. कॉम. (2017, अक्टूबर 5). Rajasthan farmers sit neck-deep to protest land deal.
- [2] इंडियाफिलिंग्स.कॉम. (n.d.). Rajasthan Land Conversion.
- [3] कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. (2016). Rajasthan Chapter 4 Land Revenue Report No 7 of 2016 on Revenue Sector.
- [4] कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया. (2017). Rajasthan Revenue Hindi Report No. 6 of 2017, Chapter 4.
- [5] जनसत्ता. (2020, मार्च 2). नींदड़ गांव के किसानों का अनोखा प्रदर्शन, जमीन समाधि सत्याग्रह.
- [6] जैन, श्रुति. (द.क.). राजस्थान में, एक दशक से ज्यादा समय से भूमि अधिग्रहण का विरोध कर रहे नींदड़ के किसानों को कोई राहत नहीं मिली. TheWire.in.
- [7] जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी. (द.क.). राजस्थान सरकार राजस्व (भूमि रूपांतरण) विभाग.
- [8] टेसफाये, ए., और मेकॉनन, ए. (2021)। इथियोपिया में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण और निवेश का ग्रामीण आजीविका और खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव। भूमि उपयोग नीति, 111, 105739।
- [9] टाइम्स ऑफ इंडिया. (2025, अगस्त 7). Land conversion hurdles stall RR MoUs grounding.
- [10] 10. टाइम्स ऑफ इंडिया. (2025, मार्च 15). SC/ST farmers lose out on solar boom as land cannot be leased without conversion. JETIR